अंचल अधिकारी का कार्यालय, पूर्वी टुण्डी

वाद संख्या 390/2016-17

दिनांक		अभियुक्ति
5/11/2020	आदेश अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसे अभिलेख में संलग्न किया गया है। जमांबदी रैयत के वशंज उपस्थित है व उनके द्वारा सादा हुकुमनामा एंव लगान रसीद प्रस्तुत किया गया है तथा अपने पक्ष में अन्य कोई कागजात प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग नहीं की गई है। Indian Registration Act, 1908 की धारा 17 के अनुसार 100/- से अधिक की सम्पति का अनिंबधित हस्तांतरण विधि की दृष्टि से मान्य नहीं है। साथ ही मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-04/स.भू.(दिशा-निर्देश)-95/2016. 2074/रा. दिंनाक-13.05.2016 में वर्णित निर्देश के अनुसार लगान रसीद पूर्वाग्रह रहित होते है। अतएव लगान रसीद के आधार पर दावा बिना ठोस साक्ष्य के स्वीकार योग्य नहीं है एंव पंजी - 2 में प्राधिकार कालॅम में भी किसी प्रकार का कोई आदेश अकिंत नहीं है। जमाबंदी रैयत के वंशज द्वारा समर्पित आवेदन में, पंजी 2 में एवं लगान रसीद में प्लॉट संख्या का भी उल्लेख नहीं है। पंजी 2 की सत्यापति प्रति अभिलेख के संलग्न है। अतः राजकुमारी देवी के नाम से मौजा-बलारडीह, थाना-टुण्डी खाता संख्या-98,40,44,79,50 रकवा- 6.69 1/2ए0 एवं पृष्ट संख्या-88 पर कायम जमाबंदी को संदेहास्पद मानते हुए रदद करने की अनुशंसा की जाती है। अग्रेतर कार्रवाई हेतू अभिलेख भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, धनबाद को भेजे। लेखापित एंव संशोधित 5/11/2020 अचंल अधिकारी, पूर्वी टुण्डी। 5/11/2020 अचंल अधिकारी, पूर्वी टुण्डी।	

Scanned with CamScanner